

पड़ता है ?

12. क्या आवेदित भूमि वासीगत/भूदान/सिकमी भूमि के अन्तर्गत पड़ता है ?

13. हल्का कर्मचारी का मन्तव्य -

सेवा में
का ० अ ० अ ० १ ० ०
या कुलियां

महाशयों आवेदक द्वारा आसलाईन के मौलिक स्थापन हेतु आवेदक को मूल कागजात सहेतु के लिए सुचित किया गया था परन्तु उसे द्वाबा कागजात सहेतु मध्ये किया गया जिसके कारण दस्तावेज का मौलिक स्थापन मध्ये किया जा सकला है बिना मौलिक स्थापन के शरीर का वाई करना उचित तरीका मध्ये होता है।

अतः आवेदन को आवेदक द्वारा किया जा सकला है।